अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, नवगछिया।

सत्र वाद संख्या – 187/2021

10.03.2022 आवेदक राकेश कुमार की तरफ से प्रस्तुत वाद में जप्त मोटरसाईकिल हीरो पैशन प्रो निबंधन संख्या – BR-33L-5892 को मुक्त करने के संबंध में दिनांक 04.02.2022 को दाखिल आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किया गया कि आवेदक प्रस्तुत वाद में जप्त मोटरसाईकिल हीरो पैशन प्रो निबंधन संख्या – BR-33L-5892 के वैध मालिक हैं तथा जप्त वाहन का सभी वैध कागजात आवेदक के पास उपलब्ध है। यह कि जप्त वाहन बिहपुर (भवानीपुर) थाना में जप्त है। यह कि प्रस्तुत वाद में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। थाना से न्यायालय में प्रतिवेदन भी दाखिल किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत वाद में जप्त मोटरसाईकिल को आवेदक के पक्ष में मुक्त करने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत वाद में जप्त मोटरसाईकिल निबंधन संख्या – BR-11R-8754 , ईंजन नम्बर HA10ENDHA51860, चेचिस नम्बर MBLHA10AWDHA5332 के संबंध में थाना द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है ''कि जप्त वाहन के उपरोक्त विवरण के स्थान पर गाड़ी का निबंधन संख्या – BR-33L-5892, ईंजन नम्बर HA10ENDHA51860, चेचिस नम्बर MBLHA10AWDHA533220 माना जाय तथा उक्त मोटरसाईकिल को उसके स्वामी राकेश कुमार के पक्ष में मुक्त करने में कोई आपत्ति नही है। यह वाहन कोढ़ा थाना कांड संख्या – 182/2018, दिनांक 25.05.2018, अन्तर्गत धारा – 379 भा0 द0 वि0 में दर्ज है जो गाड़ी बिहपुर भवानीपुर थाना कांड संख्या – 198/2020 में दर्ज है।'' अतः उचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्षों को सुना तथा वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि मोटरसाईकिल निबंधन संख्या – BR-11R-8754, ईंजन नम्बर HA10ENDHA51860, चेचिस नम्बर MBLHA10AWDHA53322 को भवानीपुर थाना कांड संख्या – 198/2020 में जप्त किया गया है। सम्बन्धित थाना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ''वाहन के उपरोक्त विवरणी के स्थान गाड़ी का निबंधन संख्या – BR-33L-5892, ईंजन नम्बर HA10ENDHA51860, चेचिस नम्बर MBLHA10AWDHA533220 माना जाय तथा उक्त मोटरसाईकिल को उसके स्वामी राकेश कुमार के पक्ष में मुक्त करने में कोई आपत्ति नही है। यह वाहन कोढ़ा थाना कांड संख्या – 182/2018, दिनांक 25.05.2018, अन्तर्गत धारा – 379 भा0 द0 वि0 में दर्ज है जो गाड़ी बिहपुर भवानीपुर थाना कांड संख्या – 198/2020 में दर्ज है।'' आवेदक की ओर से वाहन के स्वामित्व के संबंध में निबंधन प्रमाण पत्र, बीमा कागजात, वाहन खरीद रसीद (retail invoice) दाखिल किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक हीं उक्त जप्त वाहन के वैध स्वामी हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में जप्त वाहन संख्या – BR-11R-8754 (परिवर्तित निबंधन संख्या – BR-33L-5892), ईंजन नम्बर HA10ENDHA51860, चेचिस नम्बर MBLHA10AWDHA533220 को आवेदक की ओर से मो0 – 25,000/– रूपया के समतुल्य राशि का दो Indemnity bond दाखिल करने पर आवेदक के पक्ष में इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है कि प्रस्तुत वाद के निष्पादन तक आवेदक वाहन की न तो बिक्री करेंगे और न हीं वाहन के भौतिक स्वरूप या रंग में परिवर्तन करेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तद्नुसार आवेदन **निष्पादित** हुआ।

ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
नवगछिया, भागलपुर।